



गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.

(भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय)
(A Government of India Undertaking, Ministry of Defence)
CIN NO.: L35111WB1934GOI007891

SECY/GRSE/BD-69/CA/17/26-27

21 Jul 2026

To,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051
Symbol: GRSE

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 542011

**Sub: Submission of Newspaper Clippings regarding notice for transfer of
Unclaimed Dividends / Equity Shares to the Investor Education and
Protection Fund (IEPF)**

Dear Sir / Madam,

1. Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have enclosed herewith newspaper clippings regarding notice for transfer of Unclaimed Dividends / Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account in accordance with the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

2. Copies of newspaper clippings are attached herewith as **Annexure - A**.

3. This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

Sandeep Mahapatra
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Membership No. ACS 10992

FINANCIAL EXPRESS – KOLKATA EDITION : 21 JUL 2026



जी आर एन ई
GRSE

एक भारत सटीक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
A NAVRATNA CPSE

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking), रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence

Regd & Corp Office: GRSE BHAVAN, 61, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024
Phone: 033-2469-8101, Fax: 033-2469-8150
Web: www.grse.in, E-mail: co.sec@grse.co.in (CIN: L35111WB1934GOI007891)

**NOTICE FOR TRANSFER OF UNPAID DIVIDENDS/EQUITY SHARES
TO IEPF AUTHORITY**

Attention: Shareholders of Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") and amendments made thereto, the dividends which remained unclaimed for seven years will be credited to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") and thereafter corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the IEPF. Accordingly, individual communications will be sent by GRSE ("the Company") at the latest available addresses of the concerned shareholders, requesting them to claim dividend amounts which have remained unpaid/unclaimed consecutively for a period of seven years, as per the details mentioned below:

Particulars	Date of declaration	Due date and last date for claiming dividend	Timeline for transfer of unclaimed dividend amount and shares to IEPF Authority
Final Dividend 2018-19	20 Sep 2019	01 Oct 2026	On or before 21 Nov 2026

The details of such shareholders are also available on the website of the Company at www.grse.in. In view of the same, such shareholders are requested to claim their unclaimed/unpaid dividend amounts and accordingly forward the requisite documents to Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. M/s Alankit Assignments Limited (Unit: GRSE Limited), 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055. Tel. No.: 011-4254 1234/1954/4254 and email: rta@alankit.com OR contact the Company at Tel. No.: 033-2469 8101/ 8545 and email: co.sec@grse.co.in, to claim the unclaimed dividend amount(s).

In case, the requisite documents from the concerned shareholders are not received **on or before 01 Oct 2026** for claiming unpaid dividend, the corresponding equity shares along with the unpaid dividend amounts, having completed seven years, shall be transferred to IEPF Authority, without any further notice. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amounts and equity shares transferred to IEPF pursuant to the said Act and Rules. However, the unclaimed dividend amounts and corresponding shares transferred to the IEPF Authority (including all benefits) accruing on such shares, if any, can be claimed back after following the procedure prescribed in the IEPF Rules.

Important Updates for Shareholders:

Pursuant to the amendments in SEBI Guidelines, dividend payments shall now be made only through electronic transfer modes. Accordingly, shareholders are requested to update their bank account details with Depository/RTA, as the case may be.

For and on behalf of
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
Sd/-
Sandeep Mahapatra
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. ACS:10992

Place : Kolkata
Date : 21st Jul, 2026



गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking), रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence
Regd & Corp Office: GRSE BHAVAN, 61, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024
Phone: 033-2469-8101, Fax: 033-2469-8150
Web: www.grse.in, E-mail: co.sec@grse.co.in (CIN: L35111WB1934GOI007891)

आईईपीएफ प्राधिकरण को भुगतान नहीं किए गए लाभांश/इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना

ध्यान दें: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) के शेयरधारक

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") और इसमें किए गए संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के प्रावधानों और अनुसार, सात वर्षों तक दावा नहीं किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में जमा किया जाएगा और उसके बाद संबंधित शेयर, जिन पर लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया था, को भी आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इसी अनुसार, जीआरएसई ("कंपनी") द्वारा संबंधित शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत संचार भेजे जाएंगे, जिसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, उनसे उस लाभांश राशि का दावा करने का अनुरोध किया गया है जिसका लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए भुगतान नहीं हुआ है/दावा नहीं किया गया है:

विवरण	घोषणा की तिथि	लाभांश का दावा करने की देय तिथि और अंतिम तिथि	दावा नहीं की गई लाभांश राशि और शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की समय-सीमा
अंतिम लाभांश 2018-19	20 सितंबर 2019	01 अक्टूबर 2026	21 नवंबर 2026 को या उससे पहले

ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर भी उपलब्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए, ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावा नहीं किए गए/भुगतान नहीं किए गए लाभांश राशि का दावा करें और तदनुसार आवश्यक कागजात कंपनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात् मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (यूनिट: जीआरएसई लिमिटेड), 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 को भेजें, फोन नंबर: 011-4254 1234/1954/4254 और ईमेल: rta@alankit.com या दावा नहीं की गई लाभांश राशि का दावा करने के लिए कंपनी से फोन नंबर: 033-2469 8101/8545 और ईमेल: co.sec@grse.co.in पर संपर्क करें।

यदि भुगतान नहीं किए गए लाभांश का दावा करने के लिए 01 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले संबंधित शेयरधारकों से आवश्यक कागजात प्राप्त नहीं होते हैं, तो भुगतान नहीं की गई लाभांश राशि जो सात वर्ष पूरी कर चुकी है, के साथ संबंधित इक्विटी शेयर आगे बिना किसी सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। उक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित दावा नहीं की गई लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। हालांकि, आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित दावा नहीं की गई लाभांश राशि और संबंधित शेयरों (सभी लाभों सहित), जो ऐसे शेयरों पर अर्जित होते हैं, यदि कोई हो, को आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वापस दावा किया जा सकता है।

शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण नवीनतम जानकारी:

सेबी के दिशानिर्देशों में संशोधनों के अनुसार, लाभांश का भुगतान अब केवल इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण मोड के माध्यम से किया जाएगा। इसी अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपडेट करें, जैसा भी मामला हो।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
की ओर से एवं उनके लिए

हस्ता/-

संदीप महापात्र

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता सं. एसीएस:10992

स्थान: कोलकाता

तिथि: 21 जुलाई, 2026



गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking), रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence
Regd & Corp Office: GRSE BHAVAN, 61, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024
Phone: 033-2469-8101, Fax: 033-2469-8150
Web: www.grse.in, E-mail: co.sec@grse.co.in (CIN: L35111WB1934GOI007891)

আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে আনপেড ডিভিডেন্ড / ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

লক্ষ্য করুনঃ গার্ডেন রীচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের (জিআরএসই) শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (দ্য “অ্যাক্ট”)-এর সেকশন ১২৪ (৬)-এর প্রভিশনস্ তৎসহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস্, ২০১৬ (“রুলস্”) এবং তার সংশোধনী অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হচ্ছে যে, সাত বছর ধরে দাবী না করা ডিভিডেন্ড ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (“আইইপিএফ”) জমা করা হবে এবং এর পরে যে শেয়ারগুলিতে টানা সাত বছর ধরে ডিভিডেন্ড দাবী করা হয়নি সেগুলিও আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করা হবে।

তদনুসারে, জিআরএসই (“দ্য কোম্পানি”) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সাম্প্রতিক উপলব্ধ ঠিকানায় পৃথকভাবে যোগাযোগ করা হবে যেখানে তাঁদের টানা সাত বছর ধরে আনপেড/দাবী না করা ডিভিডেন্ড রাশি দাবী করার অনুরোধ করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

বিবরণ	ঘোষণার তারিখ	ডিভিডেন্ড দাবী করার নির্ধারিত এবং শেষ তারিখ	আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী না করা ডিভিডেন্ড রাশি এবং শেয়ার স্থানান্তরের সময়সীমা
ফাইনাল ডিভিডেন্ড ২০১৮-১৯	২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯	০১ অক্টোবর ২০২৬	২১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে বা তার পূর্বে

এরূপ শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.grse.in-তে পাওয়া যাবে। একই পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ শেয়ারহোল্ডারদের তাঁদের দাবী না করা/আনপেড ডিভিডেন্ড রাশি দাবী করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তদনুসারে প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স অলংকিত অ্যাসাইনমেন্টস্ লিমিটেড (ইউনিটঃ জিআরএসই লিমিটেড), ২০৫-২০৮, আনানকলি কমপ্লেক্স, ঝান্ডেওয়ালান এন্ডটেনশন, নিউ দিল্লী-১১০০৫৫, টেলি নং. ০১১-৪২৫৪ ১২৩৪/১৯৫৪/৪২৫৪-এর কাছে পাঠাতে হবে এবং rta@alankit.com-তে ইমেল করতে হবে অথবা টেলি নং. ০৩৩-২৪৬৯ ৮১০১/৮৫৪৫-তে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং co.sec@grse.co.in-তে ইমেল করতে হবে, দাবী না করা ডিভিডেন্ড রাশি দাবী করার জন্য।

যদি আনপেড ডিভিডেন্ড দাবী করার জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ০১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে বা তার পূর্বে গৃহীত না হয় বা পাওয়া না যায়, তবে পরবর্তী কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে সাত বছর পূর্ণ হয়েছে এমন আনপেড ডিভিডেন্ড রাশি সহ সংশ্লিষ্ট ইকুইটি শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত করা হবে। উক্ত অ্যাক্ট এবং রুলস্ অনুযায়ী আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত দাবী না করা ডিভিডেন্ড রাশি এবং ইকুইটি শেয়ারের সাপেক্ষে কোনও দাবী সেক্ষেত্রে কোম্পানির কাছে করা যাবে না। অবশ্য, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত দাবী না করা ডিভিডেন্ড রাশি এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলিতে জমা হওয়া, যদি থাকে, তা আইইপিএফ রুলসে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ফেরৎ পাওয়া যাবে।

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপডেটঃ

সেবি নির্দেশাবলীতে সংশোধনী অনুযায়ী, এখন কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার মোডে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়। তদনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্র বিশেষে ডিপোজিটরী/আরটিএ-র সাথে নিজেদের ব্যান্ড অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করিয়ে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড-এর
জন্যে এবং পক্ষে

স্বা/-

সন্দীপ মহাপাত্র

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ২১ জুলাই, ২০২৬

কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং. এসিএসঃ ১০৯৯২